मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३)की धारा १३ में,—

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;'';

(दो) उपधारा (३) में, शब्द ''कार्य परिषद्'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य सरकार'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा १३ की उपधारा (२) में, समिति के माध्यम से नियमित कुलपति की नियुक्ति का उपबंध है. उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में, नियमित कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, जबकि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के सफल संचालन के लिए नीति के अवधारण के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है और विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय उपबंध भी करती है. राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों के लिये जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है. विश्वविद्यालयों में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा १३ में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ दिसम्बर, २०१९.

जीतू पटवारी
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) से उद्धरण.

* * * *

धारा १३ उपधारा (२)

कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्, :—

(एक) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति.

कुलाधिपति इन ३ व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

धारा १३ उपधारा (३)

उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह माह पूर्व, कार्यपरिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.